

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम-19-131/88/1/4
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 1988

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :—कार्यालय में धूम्रपान पर प्रतिबंध।

संदर्भ :—इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 26 सितम्बर 1988।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 1988 से प्रदेश के समस्त सार्वजनिक कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धूम्रपान का पूर्णतः निषेध किया गया है, लेकिन इन निर्देशों का पालन पूर्णतः कड़ाई से नहीं हो रहा है।

2. अतः निवेदन है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि शासन के उक्त निर्देशों का पूर्ण कड़ाई से पालन हो और इसके लिये आवश्यकतानुसार सभी सार्वजनिक कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में "धूम्रपान वर्जित की पट्टियाँ" भी लगवाई जावें।

आर. सी. श्रीवास्तव,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग।

पृ. क्र. एम-19-131/1988/1/4
प्रतिलिपि :—

भोपाल, दिनांक नवम्बर 1988

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर।
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर।
सचिव, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर।
राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव।
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन आयोग।
सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार, म.प्र., भोपाल समस्त ट्रेजरी ऑफिसर।
3. रोजनल मैनेजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल।
4. रोजनल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल।
5. अवर सचिव (अधोक्षण), म.प्र., सचिवालय, भोपाल।
अवर सचिव (स्थापना), म.प्र. सचिवालय, भोपाल।
लेखा अधिकारी, म.प्र. सचिवालय, भोपाल।
6. मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव के निजी सहायक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, म.प्र. विधान सभा के निजी सहायक।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क, म. प्र., भोपाल को समस्त समाचार-पत्रों में विस्तृत प्रकाशन एवं आकाशवाणी से प्रसारण हेतु अप्रेषित।

के.के. श्रीवास्तव
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग।